राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1327/2024

डॉ. संजय कुमार बंसल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, केकडी, जिला केकडी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.03.2024

आदेश की दिनांक : 04.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. कमलेश कुमार सैनी, ओआईसी

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यव्यवस्थार्थ अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, केकडी, जिला केकडी में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी आयुर्वेद चिकित्सक है और उसके लेक्चरार के पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता। परंतु उसे आदेश दिनांक 28.11.2022 के द्वारा लेक्चरार के पद

पर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा उसे लेक्चरार संहिता सिद्धांत राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, केकडी पदस्थापित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी दिनांक 04.02.2024 को माननीय मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दिया और कथन किया कि अपीलार्थी को 150 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है जबकि वह कई बीमारियों से पीडित है और आदेश दिनांक 03.03.2023 जो नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सक और लेक्चरार के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है, परंतु फिर भी अपीलार्थी को लेक्चरार के पद पर पदस्थापित किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि उसका मूल पद आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सालय, डांगरथल, टोंक पदस्थापित किया जावे तथा वेतन आदि का लाभ भी दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को अग्रिम आदेशों तक कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया है और आयुर्वेद चिकित्सा सेवा सरकार की जनहित सेवा है। राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को राज्य हित में किसी भी स्थान पर जरूरत के अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थी का पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम के नियम 20 के अंतर्गत किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यव्यवस्थार्थ अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, केकडी, जिला केकडी में कार्यरत है। अपीलार्थी आयुर्वेद चिकित्सक है और उसके लेक्चरार के पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता। परंतु उसे आदेश दिनांक 28.11.2022 के द्वारा लेक्चरार के पद पर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा उसे लेक्चरार संहिता सिद्धांत राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, केकडी पदस्थापित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी दिनांक 04.02.2024 को माननीय मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दिया। जहां तक अपीलार्थी को लेक्चरार संहिता सिद्धांत राजकीय आयुर्वेद कॉलेज,

केकडी में पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि आयुर्वेद चिकित्सक को लेक्चरार संहिता सिद्धांत राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में पदस्थापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 150 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष